



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-08022025-260849  
CG-UP-E-08022025-260849

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]  
No. 666]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 27.जनवरी, 2025

का.आ. 670(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'च' की उप धारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित मध्यस्थ को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित जिले के सम्बन्ध में "इटवा बाईपास" को विशेष रेल परियोजना के बाबत उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर	इटवा

[ई.फा.सं. एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य.सी.ई.एन.जी.(जेन)/6/2023-ओ./ओसी.ई./कांस्ट/नार्थ/एच.क्यू./एन.सी.आर(कम्प्यूटर सं. 83817)]

विपिन कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS****[North Central Railway (Construction Department)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 27th January, 2025

**S.O. 670(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the **Arbitrator** mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the Special Railway Project of “**Etawah Bypass**” in the State of Uttar Pradesh relating to district mentioned in column (3) of the said table for the purpose of execution, maintenance, Management and operation of such railway project.

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Officer</b>	<b>District</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Commissioner, Kanpur Division, Kanpur	Etawah

[E-F. No. NCR-HQ0CENG(GEN)/6/2023-O/o CE/CONST/NORTH/HQ/NCR (Computer No. 83817)]

VIPIN KUMAR, Chief Administrative Officer (Construction)